न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी0सी0एम0एस0 संख्या 2021/271

निगरानी संख्या 38/2021 — तारीख रजू 01.07.2021

मोहनलाल पुत्र रामनाथ जाट निवासी बहरावण्डा कलां हाल निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.........प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णा देवी पत्नि बृजेश कुमार ब्राहमण निवासी बिछपुरी (बीरपुर के पास) तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच साहब

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।
श्री मुकेश तेहरिया एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 24.03.2026

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पारित आदेश व पटटा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिलकर रेवेन्यू की ख0नं0 1843/125 की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरूद्ध जाकर फर्जी तरीके से पटटा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरूद्व पट्टा जारी करने का कारण ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी फर्जी तरीके से जारी पट्टा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये सम्मन की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातेहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल है। उक्त निर्णय अदालत मातेहत तथ्यों के व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित स्थान का पट्टा देने से पूर्व सार्वजनि[illegible] जाता है तथा विवादित स्थल पर व ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा किया जाता है जो अदालत मातेहत ने नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

अति0 जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

किया। यदि ऐसा किया जाता तो प्राथी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करता। अप्रार्थी संख्या 1 खण्डार की रहने वाली नहीं है बल्कि खण्डार से 25 कि0मी0 दूर ग्राम बिछपुरी ग्राम पंचायत कोसरा की रहने वाली है इसलिये नेगोशियशन से उक्त पट्टा जारी किया है जो पंचायती नियमों के खिलाफ है निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि रेवेन्यू की ख0नं0 1843/125 है जिसमें ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है ग्राम पंचायत को पट्टा रेवेन्यू की भूमि में जारी करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी के प्लाट के पश्चिम ग्राम पंचायत खण्डार ने 12 फुट का रास्ता होना बतलाया है जो पट्टा रमेश को दिया है उसमें अंकित है लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त रास्ते की भूमि 12 फुट में से 3 फुट जमीन का पट्टा अप्रार्थी को दे दिया है रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को पट्टा नेगोसेशन से देने का अधिकार नहीं है बल्कि नीलामी प्रक्रिया से ही आबादी की भूमि को विक्रय किया जा सकता है उक्त प्लाट 10 लाख की कीमत से कम नहीं है इस प्रकार कम कीमत में देकर ग्राम पंचायत के रेवेन्यू का भारी नुकसान किया है निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्लाट पर कभी पुराना कब्जा नहीं रहा और नहीं कभी कच्चा मकान उक्त प्लाट में रहा है इस प्रकार ग्राम पंचायत नियमों की अवहेलना की है। अप्रार्थीया ने पट्टा लेते समय प्रार्थना पत्र में कोई सीमाये व साईज नहीं बतलाई है ओदश निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 14.06.21 को रास्ता 12 फुट में से 3 फुट में नींव खोदकर निर्माण करने लगा तब प्रार्थी ने अप्रार्थीया व जगदीश व नरोत्तम जाट निवासी गोठडा को मना किया तो इसका पट्टा होना बतलाया इसकी जानकारी दिनांक 14.06.21 को होने पर नकल का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने 15.06.21 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 21.06.21 को प्राप्त हुई इसलिए निगरानी भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्दर मियाद पेश की गई है। उक्त भूमि का पट्टा लेकर जगदीश व नरोत्तम को बेच दिया इसलिए लाभ कमाने के लिए अप्रार्थीया ने पट्टा उक्त प्लाट का प्राप्त किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी पट्टा आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 को निरस्त फरमाई जावे। उक्त कथनों की पुष्टि हेतु वकील निगरानीकर्ता ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त 2018(3)CJ(Civ.)(Raj.) Shivji Ram & Anr. Vs Heera Ram & Ors. Page 1689, 1999 DNJ (Raj.) 672 Narayan Lal Vs State & Ors., 2025(3) CJ(Civ)(Raj.)1710 Murarilal & Ors. Vs. Ramesh Chand & Anr., 1995 DNJ (Raj.) 458 Dhanraj and Anr. Vs. Additional Collector, Ganganagar & Ors., 2015(1)DNJ (Raj.) 443 Looni Devi & 10 Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors., 2009(2)DNJ (Raj.) 1060 Dhala Ram & Anr. Vs. Shri Pratap Ram & Anr., 2017(2)DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput Vs. State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayat Raj. Jaipur & Ors., 2015(2) DNJ (Raj.) 595 Raju Cheeta Vs. District Collector, Bhilwara & Ors. पेश किये।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम पंचायत में नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। उक्त पटटा आबादी भूमि का है। प्रार्थी द्वारा म्याद बाहर निगरानी पेश की अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वकील निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानी पेश करते समय वकील निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा रमेश चंद जाट पुत्र देवीराम जाट को जारी किये गये पटटा संख्या 17 आदेश दिनांक 03.02.2011 की प्रति पेश की गई थी। उक्त दोनो पटटों के संबंध में दोनो पटटा धारियों की पटटेशुदा भूमि का मौका पर्चा रिपोर्ट एंव परस्पर स्थिति के संबंध में रिपोर्ट चाहने पर सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड खण्डार एवं तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2024 के द्वारा उक्त दोनो पटटेधारियों की भूमि स्टेट हाइवे 123 कस्बा खण्डार में दाई ओर 100 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा ख0नं0 1832/125 रकबा 9.01 बीघा में दर्ज है जोकि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है। ग्राम पंचायत को सिवायचक भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है तथा तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार पट्टा संख्या 32 तथा पट्टा संख्या 17 सिवायचक भूमि में जारी किये गये हैं। सिवायचक भूमि में ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। अतः गलत तरीके से जारी किये गए उक्त पट्टो का पंजीकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनो पट्टा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 तथा पटटा संख्या 17 आदेश दिनांक 03.02.11 खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 आदेश दिनांक 21.05.17 व 11.07.17 तथा पटटा संख्या 17 आदेश दिनांक 03.02.11 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested